न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 16/2019 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री श्रवण कुमार गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता विक्रेता एवं मालिक मैसर्सः– सीताराम श्रवण कुमार, मैन बाजार, राहुवास, तह. रामगढ पचवारा जिला दौसा।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं 1 स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः– 21.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 12.02.2019 को दोपहर 02:15 बजे मैसर्सः– सीताराम श्रवण कुमार, मैन बाजार, राहुवास, तह. रामगढ पचवारा जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री श्रवण कुमार गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता व मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक रैक में 20 पैकिट 500 एमएल पैकिंग में पैक घी (जय श्री कृष्णा) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जॉच हेतु 4 मूल पैकिट घी (जय श्री कृष्णा) नमूने की जांच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत 440 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

नमूने के लिये खरीदशुदा 4 मूल पैकिट घी (जय श्री कृष्णा) हेतु चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेटकर पैकिटो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

नम्बर ए.जी.–2096 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटों को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 13.02.2019 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.02.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 14.02.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ घी (जय श्री कृष्णा) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./313/एक्ट/2019/192 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार अनसेफ व आरएफएल पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या आरएफएल/डीओ/168/19/349ए/2019 दिनांक 20.04.2019 के अनसुार मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड पाये जाने पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (जय श्री कृष्णा) का नमूना मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ घी (जय श्री कृष्णा) खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./313/एक्ट/2019/192 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार अनसेफ व आरएफएल पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या आरएफएल/डीओ/168/19/349ए/2019 दिनांक 20.04.2019 के अनसुार मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री सीताराम गुप्ता द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में मेरी फर्म सीताराम श्रवण कुमार राहुवास ने लालसोट से महेश पंसारी से उक्त घी (जय श्री कृष्णा) क्रय किया है। यह व्यापारी उक्त घी (जय श्री कृष्णा) का व्यापार करता हैं तथा बिल नहीं देता है, केवल माल पर्ची से विक्रय करता है। प्रार्थी राहुवास तहसील रामगढ पचवारा में सीताराम श्रवण कुमार की फर्म किराने की दुकान चलाता हुं। जिसका प्रो. श्रवण कुमार है। उक्त प्रकरण में जो भी निर्णय न्यायालय द्वारा फरमाया जायेगा वो मुझे स्वीकार है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./313/एक्ट/2019/192 दिनांक 26.02.2019 के अनुसार अनसेफ व आरएफएल पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या आरएफएल/डीओ/168/19/349ए/2019 दिनांक 20.04.2019 मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री सीताराम गुप्ता द्वारा महेश पंसारी लालसोट से खरीदे गये उक्त खाद्य पदार्थ घी (जय श्री कृष्णा) अनसेफ, मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री सीताराम गुप्ता विक्रेता एवं मालिक मैसर्सः– सीताराम श्रवण कुमार, मैन बाजार, राहुवास, तह. रामगढ पचवारा जिला दौसा पर 5000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री सीताराम गुप्ता ने महेश पंसारी लालसोट की जिस फर्म से उक्त अनसेफ, मिसब्राण्ड एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ (जय श्री कृष्णा) खरीदा है। उक्त फर्म के खिलाफ तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 21.08.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/1794-1796

दिनांकः– 30.08.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री श्रवण कुमार गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता विक्रेता एवं मालिक मैसर्सः– सीताराम श्रवण कुमार, मैन बाजार, राहुवास, तह. रामगढ पचवारा जिला दौसा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा